II/निग०/शहडोल/2018/0179

395

न्यायालय में श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट

रीवा (म0प्र0)

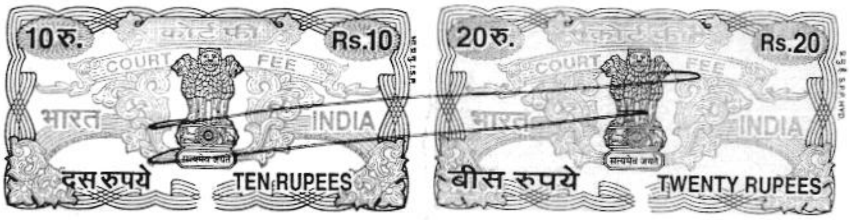

1. गोरेलाल पनिका पिता चिड्डा पनिका निवासी ग्राम अरहरियाटोला दुआरी,
2. छैलू कोल पिता मोतिया कोल निवासी ग्राम कुबरा हालमुकाम अरहरिया टोला दुआरी
3. बेसाहू अहीर पिता बुद्धा अहीर निवासी ग्राम कुबरा, हालमुकाम अरहरियाटोला दुआरी
4. रामसजीवन पनिका पिता चुटुआ पनिका निवासी ग्राम कुबरा,

सभी का थाना व तहसील जयसिंहनगर जिला–शहडोल (म0प्र0)

.... निगरानीकर्तागण / आवेदकगण

बनाम

1. अखिलेश पिता राधिका प्रसाद द्विवेदी
2. जनार्दन पिता रामचरण ब्राम्हण
3. जोधी पिता जहांगीर पनिका
4. मनबोधी पिता हरीदीन पनिका

सभी निवासी ग्राम कुबरा, थाना व तहसील जयसिंहनगर जिला–शहडोल (म0प्र0)

.... अनावेदकगण / उत्तरवादीगण

प्रति० श्री सतेन्द्र पाठक द्वारा पेश/ 13-3-18

13-3-18

राजस्व निगरानी

विरुद्ध आदेश न्यायालय कलेक्टर महोदय शहडोल जिला–शहडोल (म0प्र0) बसिलसिले राजस्व प्रकरण कमांक– 16/निगरानी/2016–17 एवं प्र0क0– 39/स्व. निगरानी/2016–17 आदेश दिनांक 25.01.2018 एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल जयसिंहनगर तहसील जयसिंहनगर जिला–शहडोल का राजस्व प्रकरण क0– 6/अ12/2015–16 आदेश दिनांक 20.02.216 निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

मामले का संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि निगरानीकर्तागण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक – दो/निग./शहडोल/2018/1719

गोरेलाल पनिका आदि **विरूद्ध अखिलेश द्विवेदी आदि**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सतेन्द्र पाण्डेय उपस्थित। 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल, जयसिंहनगर, तहसील जयसिंहनगर, जिला- शहडोल के प्रकरण क्रमांक 06/अ-12/2015-16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 20-02-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) सदस्य 23/01/19	